

फर्द अहकाग

न्यायालय सहायक कलक्टर, चौमू

कानाराम बनाम कैलाशचन्द वगै०

2024/211

मुकदमा नम्बर :- 80 / 2024

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	18.09.2024	<p>प्रार्थी के अधिवक्ता ने टी0आई0 प्रार्थना पत्र पेश किया। रिपोर्ट हो चुकी है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। बहस में वकील प्रार्थी ने अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने हेतु निवेदन किया। बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र व दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। रिकॉर्ड व दस्तावेजात के अवलोकन से पत्रावली में गुवावगुण पर टिप्पणी किये बिना प्रार्थी के पक्ष में अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायोचित प्रतित नहीं होता है अतः प्रार्थी की अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा अस्वीकार कर खारिज की जाती है। पत्रावली बाद तलबी आगामी पेशी दिनांक 04.10.2024 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">सहायक कलक्टर, चौमू चौमू, जयपुर (ग्रामीण)</p>	
	04/10/24	<p>वकील प्रार्थी उप. पत्रावली बहस पर तलबी के रख आगामी दिनांक 18/11/24 को पेश हो।</p>	
	18/11/24	<p>व. प्रार्थी उप. आगामी पेशी पर शेष अप्रामाणिक के आवश्यकतानुसार तलबी-पेशी है। पत्रावली वा3 तलबी दिनांक 13/12/24 को पेश हो।</p>	
	13/12/24	<p>प्रार्थी के अधिवक्ता को कण्डोलेस/कार्य रिपोर्ट पेश करने से पत्रावली गत आज्ञानुसार दिनांक 29/11/25 को पेश हो।</p>	
	29/1/25	<p>पत्रावली पेश हुई। न्यायालय के समक्ष पेश होने तक वकील प्रार्थी के बार-बार आपात डिलात्री गयी। वकील प्रार्थी न्यायालय के वकीलवर्ग अनुपस्थित थे अतः पत्रावली पेश हो पत्रावली उप. पेशी के खारिज की जाते हैं पत्रावली उप. पेशी से को हो तथा डायिल डायल हो।</p> <p style="text-align: right;">सहायक कलक्टर चौमू (जयपुर)</p>	